कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग
धुमाकोट (पौड़ी)

Office of the Executive Engineer National Highways, PWD Dhumakot Uttrakhand
Fax No. 01368-222319 **Email-nhpwddhumakot@gmail.com**

पत्रांक 317/वन भूमि **दिनांक: 10/05/2022**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

विषय– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 156.00 से 196.00 कोटद्वार–सतपुली तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 42.076 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्योहेतु रा0रा0, लो0नि0वि0, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ– **प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के पत्रांक–3350/12–1 दिनांक 11–04–2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि पस्ताव में लगी आपत्तियों का निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र0सं0	त्रुटियां/कमियां	जवाब/निराकरण
1–	बिन्दु सं0 01 प्रस्ताव में चैक लिस्ट संलग्नक है, किन्तु आप द्वारा आनलाइन अपलोड नही की गयो है।	चैकलिस्ट आनलाइन अपलोड कर दी गई है।
2–	बिन्दु सं0 02 प्रस्ताव में मार्ग के समरेखण मे दुगडडा एवं लैन्सडौन रैज अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वृक्षो का साराश लिस्ट संलग्नक है, किन्तु प्रभावित होने वाले कुल 11365 वृक्षो का सम्पूर्ण सारांश संलग्नक नही है।	प्रस्ताव में मार्ग के समरेखण मे दुगडडा एवं लैन्सडौन रैज मे कुल 11365 वृक्ष (दुगडडा रैंज 3956 एवं लैन्सडौन रैंज 7409) प्रभावित हो रहे है जिसका निर्धारित प्रारुप लिस्ट तो संलग्नक कर दिया गया है,
3–	बिन्दु सं0 03 प्रस्ताव में फतेहपुर कक्ष 04 मे प्रभावित होने वाले वृक्षो से संबंधित सूचना संलग्नक है। किन्तु लैन्ड शैडयूल मे फतेहपुर कक्ष 04 के अन्तर्गत कितनी वन भूमि प्रभावित हुई से संबंधित सूचना प्रारुप 11 मे अंकित नही है।	फतेहपुर कक्ष 04 की वन भूमि प्रभावित ना होने के कारण सूचना प्रारुप 11 मे अंकित नही की गई है।
4–	बिन्दु सं0 04 प्रस्ताव में संलग्न प्रारुप–22 लागत लाभ विशलेषण से संबंधित सूचना एवं आनलाइन कम संख्या G(a) पर अपलोड प्रारुप–22 से संबंधित सूचना भिन्न–भिन्न है।	प्रस्ताव में आनलाईन प्रारुप–22 लागत लाभ विशलेषण (Cost Benefits Analysis) से संबंधित जो प्रारुप को अपलोड किया गया है। वो पुराने SOP के प्रारुप के अनुसार थी। एंव हार्ड कापी मे संलग्न लागत लाभ विशलेषण (Cost Benefits Analysis) नये SOP के अनुसार है।अतः पुनः नये SOP के अनुसार लागत लाभ विशलेषण (Cost Benefits Analysis)को अपलोड कर दिया गया है।
5–	बिन्दु सं0 05 अनलाईन में क0 स0 F(i)a पर अपलोड Copy of approval to Ministry of Tribal Affairs, Government of India to Rehabilitation & Resettlement से संबंधित सूचना प्रदर्शित नही हो रही है।	अनलाईन में क0 स0 F(i)a पर अपलोडCopy of approval to Ministry of Tribal Affairs, Government of India to Rehabilitation &Resettlement पुनः अपलोड कर दिया है।

कमशः पेज–2

6–	बिन्दु सं0 06 आनलाईन में क0 स0 K(i)a पर अपलोड वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रारुप में अकित क्षेत्रफल एवं प्रस्ताव मे संलग्न प्रारुप मे अकित क्षेत्रफल भिन्न–भिन्न है। साथ ही आपके द्वारा ग्राम पंचायतो के साथ आहूत बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध मे ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र आनलाईन अपलोड नही किया गया है।	1) वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित क्षेत्रफल इसलिए भिन्न है क्योंकि यह परियोजना कोटद्धार से सतपुली तक स्वीकृत है जिसका कुल क्षेत्रफल **61.775 हे0 (32.335 हे0 आरक्षित भूमि 28.553 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.887 हे0 वनपंचायत भूमि)** था परन्तु वन्य प्राणी (हाथी गलीयारा) होने की वजह से अब वन्य प्राणी (हाथी गलीयारा) {**गवई से लकर दुगडडा बाजार क्षेत्र से बाहर तक**} मोटर मार्ग पर केवल सुदढढीकरण किया जाना ही प्रस्तावित एंव निश्चित किया गया है। अतः अब नया क्षेत्रफल **42. 076 हे0 (13.147 हे0 आरक्षित भूमि 27.759 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि)** है। इस प्रकार क्षेत्रफल में परिवर्तन होने की वजह से भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। 2) ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र आनलाईन के पार्ट–1 **अतिरिक्त सूचनाओ** मे आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7–	बिन्दु सं0 07 प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न प्रारुप मे आप द्वारा अधिलेखन किया गया है। इस हेतु उक्त के संबंध मे भारत सरकार द्वारा आपत्ति व्यक्त की जाती है। तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रयोक्ता एजेन्सी की होगी।	अधिलेखन की आवश्यकता प्रस्ताव मे समय समय पर किये गये संशोधनो की वजह से है। जो कि आवश्यक है।

अतः वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर ऑनलाइन एवं आफलॉइन आपको पुनः प्रेषित है, कृपया प्रस्ताव को शीघ्र अग्रसारित करने की कृपा करें जिससे प्रस्ताव पर स्वीकृति के पश्चात कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें।

(इं नवनीत पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
धुमाकोट–पौडी

पत्रांक / **दिनांक /05/2022।**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, देहरादून ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून
4. अधीक्षण अभियन्ता, 10वां0 रा0मा0 वत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
धुमाकोट–पौडी